न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 64/2012 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2012/00039**

1/1. सुखराम
1/2. खेमाराम } पुत्रगण बागाराम जाति सांसी निवासी अरजनसर स्टेशन लूणकरनसर।
1/3. श्रीमति रेशमी पुत्री बागाराम पत्नी हीराराम
1/4. श्रीमति सरस्वती पुत्री बागाराम पत्नी भजनाराम जाति सांसी निवासी मिढठिया तहसील लूनकरणसर।
1/5 श्रीमति सुखी पुत्री बागाराम पत्नी रूपाराम पुत्री बागाराम जाति सांसी निवासी भानेर तहसील सूरतगढ।
1/6 श्रीमति रूकमा पत्नी रूपाराम पुत्री बागाराम जाति सांसी निवासी अननसर तहसील लूणकरनसर।
1/7 श्रीमति मीरा पुत्री बागाराम पत्नी रामरख जाति सांसी निवासी अरजनसर तहसील लूनकरणसर।
1/8 श्रीमती धाई पुत्री बागाराम पत्नी बखूराम जाति सांसी निवासी कमणा तहसील पीलीबंगा।
1/9 श्रीमति खुगना पुत्री बागाराम पत्नी इरानीराम जाति सांसी निवासी कमाणा तहसील पीलबंगा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रावतराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम } जाति जाट निवासी अरजनसर स्टेशन तह. लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दाऊलाल हर्ष अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजेश बैद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक 10.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 12.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— वादग्रस्त भूमि ग्राम अरजनसर स्टेशन तहसील लूणकरनसर में स्थित खसरा नंबर 86/2 तादादी 30 बीघा भूमि का खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के समक्ष धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए तहसीलदार लूणकरण को पुनः मौका जांच कर मुताबिक कब्जा तरमीम करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12.07.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जो 76 वर्षीय वृद्ध है। अपीलांट उक्त वादगत भूमि पर पूर्व में कायम नक्शे के अनुसार ही काबिज चला आ रहा हैं, जबकि उतर वादीगण के पास जो रकबा आया है वो अपीलांट के रकबे के पश्चात आया है। उससे पूर्व में अपीलांट शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। प्रार्थना—पत्र धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया वो संधारण योग्य न होते हुए तथा उक्त प्रावधान के तहत कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित करने कानूनी गलती की है। धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नक्शे को तरमीम करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का रकबा अक्स में फिट किया हुआ है, जिसे उत्तरवादीगण अपील सुविधा व अपीलांट को नुकसाना पहुंचाने के उदेश्य से परिवर्तन करने का अधिकारी नहीं हैं। मौके पर अपनी मनमर्जी से एक पक्षीय तौर पर अधिनस्थ न्यायालय से मिलकर कानून विपरीत आदेश प्राप्त किया हैं। अधीनस्ध न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया तत्पश्चात दिनांक 30.06.11 को पक्षकार बनाया जाकर दिनांक 06.07.2011 के पेशी मुकर्रर की गई ओर नोटिस जारी करने का आदेश दिया ओर दिनांक 06.07.2011 को एक पक्षीय आदेश पारित करके दिनांक 12.07.2011 को अन्तिम आदेश आदेश पारित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ, फर्जी तामील करवाकर तत्पराता से एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील मंजूर फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने उपरोक्त बिन्दूओं के पक्ष में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007 पेज नंबर 1224 एवं आरआरडी 1977 पेज नंबर 276 को प्रस्तुत किया।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम ग्राम अरजनसर स्टेशन के ख नं 83/3 में 3.09 व ख.न 86/5 में 3.11 कुल 7 बीघा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नमा भी ख.न. 83/2 में 4 व 86/4 में 3 बीघा कुल 7 बीघा इस प्रकार दोनों प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त खसरा नंबर में कुल 14 बीघा खातदोरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण उनके कब्जा व दखल में चली आ रही हैं। खसरा नंबर 83 व 86 मौका पर एक दूसरे से चिपते हुए पडते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी रकबा पर गत करीब 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज हैं मौका पर दक्षिण की तरफ पत्थर की पटटीयां रोपकर कांटेदार तार खींचदार बाड़ बनाई हुई है। बाकी साईडों में पुरानी खींप

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कांटा, अन्य प्राकृतिक घास–फूस वनस्पति की सीवं बनी हुई है। संबंधित पटवारी हल्का/गिरदावर में किसी समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अदम मौजूदगी में बिना उनके कब्जा काश्त की जांच किये नक्शा में लाल स्हाई की लाईनों से उनके कब्जा काश्त के विपरित दक्षिणी सीमा को करीब 2 1/2 जरीब कम व पूर्वी सीमा को करीब 2 जरीब अधिक गलत तरमीम कर दिया जो अमला माल की भूल है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपने मौका के कब्जा के मुताबिक शुद्धिकरण करवाने के हकदार है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने तहसीलदार लूणकरनसर को आदेशित किया कि उक्त वादगत रकबा खसरा नंबर की पुनः मौका जांच कर मुताबिक कब्जा तरमीम करने आदेश पारित किया जो सभी पक्षों के लिए न्यायोचित था। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के पक्ष को सुना ही नही जो जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2011 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर